न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2021

प्रार्थीगण

1. मुबारिक हुसेन
2. मोहम्मद रफीक पिसरान सुलेमानजी
3. सुलेमानजी पुत्र हाजीमोहम्मदजी जातियान मुसलमान साकिनान मालवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. कमला
2. दीवा
3. शान्ता
4. सीता
5. गीता पुत्रीया रतनाराम
6. कृष्ण
7. भंवर
8. भावीन पुत्रगण रतनाराम
9. लक्ष्मीदेवी पत्नि रतनाराम
10. छगना
11. बाबूराम पिसरान तेजाराम
12. छोगा पुत्र लुम्बाराम तमाम जातियान तिरगर साकिन मालवाडा तहसील रानीवाडा
13. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
14. जालोर सहकारी भूमि विकास बैक लि0 रानीवाडा शाखा जालोर

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 12 श्री रमेश कुमार सेन
3. अप्रार्थी संख्या 13 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 25.11.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 665 रकबा 5.49 हैक्टयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीगण मुबारिक हुसेन पुत्र सुलेमान 1/4 मोहम्मद रफीक पुत्र सुलेमान 1/4, सुलेमान पुत्र हाजी हसन मोहम्मद 1/2 जातीयान मुसलमान साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी नवीन खसरा नबंर 665 रकबा 5.49 हैक्टर में आवागमन का कोई रास्ता मौजुद नहीं होने से प्रार्थीगण ने अदालत हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 4.10.2012 को पेश किया था, जो अदालत हाजा द्वारा दिनांक 31.5.2017 को नया प्रार्थना पत्र पेश करने की शर्त के साथ विड्रा करने की अनुमति दी थी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 को आराजी बाबत स्थगन आदेश होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:43 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी अप्रार्थी छोगा द्वारा दिये जाने पर पेश किया था, परन्तु वर्तमान में राजस्व मंडल अजमेंर का उक्त आराजी बाबत कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने से प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

2. प्रार्थीगण की उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 666 रकबा 3.00 हैक्टर आई हुई है। तथा प्राथीगण को अपनी आराजी नवीन खसरा नबंर 665 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 666 की दक्षिणी माठ से होते हुये आम सडक खसरा नबंर 702 से प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी स्थान से रास्ता प्रार्थीगण को दिये जाने पर कम आराजी की आवश्यकता पडती है। इस बाबत पूर्व में प्रार्थीण द्वारा पेश प्रकरण संख्या 95/12 में अदालत हाजा द्वारा तलब मौका फर्द में भी उक्त स्थिति स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी स्थान से प्रार्थीगण को खसरा नबंर 665 में आवागमन हेतु खसरा नबंर 702 से खसरा नबंर 666 में से रास्ता दिये जाने की स्थिति में कम आराजी की आवश्यकता पडेगी तथा प्रार्थीगण को कम मुआवजा भी अदा करना पडेगा। प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध है तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण उक्त आराजी में काश्त नहीं कर पा रहे हैं तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपनी आराजी मौजा मालवाडा के खसरा नबंर 665 में आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी स्थान से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 666 में से रास्ता दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अदालत हाजा के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को प्रतिकर अदा करने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपश पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि मौजा मालवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 665 में आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी स्थान से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 666 में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 665 से रास्ता खसरा नबंर 702 तक 12 फीट चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश फरमावे।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 11, 13, 14 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 12 व 13 द्वारा जवाब पेश किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नबंर 666 रकबा 3.00 हैक्टर की जमीन में अपार्थी संख्या 1 से 11 व 12 के मध्य माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में दिनांक 28.12.2006 से आज दिन तक विचाराधीन है। यहां यह उल्लेखित किया जाना उचित है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 स्वर्गीय रतनाराम के कायम मुकाम वारीसान है तथा अप्रार्थीगण के आपस में खातेदारी हकों का विवाद होने से अप्रार्थी संख्या 12 के अलावा किसी खातेदार का कब्जा नहीं होने से उक्त आराजी में दिनांक 28.6.2006 के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की उस वक्त की स्थिति का यथास्थिति कायम रखा जाने का स्थगन माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी हुआ है, जो अनवान छोगा बनाम छगना वगैरा अपील संख्या [illegible]0/2006/ अपील/टीए/जालोर है, तथा आज दिन तक उक्त स्थगन आदेश खारिज नहीं होने से श्रीमान न्यायालय हाजा को खसरा नबंर 666 रकबा 3.00 हैक्टर जमीन में से होकर किसी भी प्रकार का नया रास्ता देने से उक्त माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:43 IST
Reason: SelfAttested

28.12.2006 से पूर्णतया पालनार्थ प्रभावी होने से आप श्रीमान पर उक्त नया रास्ता देने पर रोक है। नकल अपील एवं आदेशिकाएं दिनांक 28.12.2006 से लगातार दिनांक 4.2. 2021 संलग्न आदेश पेश है तथा आदेश कही भी निरस्त नहीं होने बाबत आदेश अंकित नहीं है। सो उक्त स्थगन आदेश आज दिन तक पूर्ण रूप से अधिनस्थ न्यायालय पर प्रभावी रूप से लागु है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। प्रार्थीगण ने उक्त विवादीत आराजी मोल खरीद कर ली है, तभी से उक्त आराजी के पूर्व खातेदारों के समय से ही अपने गांव से खसरा नबंर 638 ,642 ,645 के उत्तरी माठ से होता हुआ खसरा नबंर 654, 650 के पूर्वी माठ के सहारे–सहारे खसरा नबंर 660 ,640 की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे खसरा नबंर 665 में आवागमन हेतु पडौसी खेतो का 100 वर्षो से भी पुराना आवागमन करने का वैकल्पिक आम सार्वजनिक रास्ते की भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण कर रहे है। उक्त प्रार्थना पत्र में गत तथ्य वर्णित किये गये है। प्रार्थीगण अपनी सुविधाजनक उपयोग हेतु अप्रार्थी संख्या 12 के कदीमी कब्जा सुदा एवं निजी स्वामित्व की जमीन खसरा नबंर 666 में से कोई रास्ता होने के तथ्य गलत वर्णित किये है। प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। मौके पर उक्त कटाणी रास्ता पडौसी खेतों के काश्तकारों के आवागमन हेतु उपलब्ध है तथा इसी वैकल्पिक रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण पिछले 40 वर्षो से उक्त खरीद कृषि भुमि से करते आ रहे है। एक रास्ता मौके पर मौजुद होने पर प्रार्थीगण नया रास्ता अप्रार्थी संख्या 12 की खातेदारी में से नहीं मांग सकते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 13 राजपेरोकार द्वारा जवाब दिया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी मौजा मालवाडा के खसरा नम्बर 665 रकबा 5.49 हेक्टेयर है। इस खसरा नम्बर 665 में पंहूचने के लिए कोई मार्ग नहीं है तथा इन्हे मार्ग की आत्याधिक आवश्यकता है। उपर्यूक्त खसरा नम्बर 665 में आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग खसरा नम्बर 702 रकबा 1.80 हेक्टेयर किस्म गै.मू. रास्ता है। जो मौके पर पक्की डामर सडक के रूप में तथा रेकर्डेड रास्ता है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 665 व सरकार रेकर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 702 के बीच प्रस्तावित रास्ता के मध्य में केवल एक खसरा आता है। जिसके खसरा नम्बर 666 रकबा 3.00 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम है। खसरा नम्बर 666 में प्रस्तावित रास्ता देने पर रास्ते की लम्बाई 130 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 520 वर्गमीटर है। इनकी वर्तमान डी.एल.सी दर 396135/–हेक्टेयर है। कुल प्रतिकर राशि 20599 है। जिसकी दुगुनी राशि 41198 रूपये बनती है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्ष पहाड नाडी व केचमेन्ट ऐरिया आदि में नहीं है। व खसरा नम्बर 666 के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान ,अजमेर में अपील 8940/2006 विचाराधीन है।

6. हमने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव व दस्तावेज एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा नम्बर 665 रकबा क्रमश 5.49 हैक्टेयर मौजा मालवाडा की जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 342 में दर्ज है। तथा मौजा मालवाडा की जमाबंदी के खाता संख्या 77 में खसरा नम्बर 666 रकबा 3. 00 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से जवाब मे खसरा नम्बर 666 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही है। तथा खसरा नम्बर 666 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 11 द्वारा उक्त रास्ता देने के संबंध में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये व न कोई आपत्ति पेश की व न ही कोई खण्डन किया । अप्रार्थी संख्या 12 के अधिवक्ता द्वारा जवाब व बहस में बताया कि खसरा नबंर 666 रकबा 3.00 हैक्टर में अपार्थी संख्या 1 से 12 के मध्य

Signature Not Verified
Digitally Signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:43 IST
Reason: SelfAttested

अपील माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में दिनांक 28.12.2006 से आज दिन तक विचाराधीन है। अप्रार्थीगण के आपस में खातेदारी हकों का विवाद होने से अप्रार्थी संख्या 12 के अलावा किसी खातेदार का कब्जा नहीं होने से उक्त आराजी में दिनांक 28.6.2006 के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की उस वक्त की स्थिति का यथास्थिति कायम रखा जाने का स्थगन माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जारी हुआ है। तथा स्थगन आदेश आज दिन तक पूर्ण रूप से अधिनस्थ न्यायालय पर प्रभावी रूप से लागु है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा भी खसरा नम्बर 666 के संबंध में अपील होना स्वीकार किया है।

7. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिनांक 04.10.2012 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट अदालत हाजा में प्रस्तुत किया था। जो अदालत हाजा द्वारा दिनांक 31.05.2017 को नया प्रार्थना पत्र पेश करने की शर्त के साथ विड्रो करने की अनुमति दी थी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 की आराजी बाबत स्थगन आदेश होने की जानकारी अप्रार्थी छोगा द्वारा दिये जाने पर पेश किया था। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का उक्त आराजी बाबत कोई स्थगन आदेश प्रभावी नही होने से प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपील संख्या 8940/200 छोगा बनाम छगना अपील/टी.ए. जालोर में दिनांक 28.06.2006 को जारी मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन आदेश आज भी यथावत है। जिस बाबत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की उपरोक्त अनवान की 18.11.2020 तक की आर्डरशीट भी पेश की है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त स्थगन हटाये जाने बाबत कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः खसरा नम्बर 666 में से रिकोर्डेड रास्ता दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी खेत में आने जाने के पूर्ववत कदीमी रास्ते में कोई अवरोध हो, तो तहसीलदार रानीवाडा के समक्ष आर.टी. एक्ट. की धारा 251 के तहत कार्यवाही करें। अन्यथा खसरा नम्बर 666 में स्थगन आदेश हटने पर पुनः प्रार्थना पत्र दायर करने हेतु स्वतंत्र है। वर्तमान में उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी को खसरा नम्बर 666 में रिकोर्डेड रास्ता दिया जाना संभव नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:43 IST
Reason: SelfAttested